



कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर (म.प्र.)



Ph: +91-761-2661021 | Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

—: आदेश :—

जबलपुर, दिनांक : 25/03/2026

क्रमांक कौविसं./स्थाप-प्र/सामा-244/2026/ 1812/मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित समूह-4 भर्ती परीक्षा 2023 अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय के विज्ञापित स्टेनों टायपिस्ट पद के लिये आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षण उपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा में स्टेनों टायपिस्ट के पद पर एन्ट्री पे (7वें वेतनमान में ईपी लेबल-4) न्यूनतम वेतन रु. 19500/- (उन्नीस हजार पांच सौ) (6वें वेतनमान रुपये 5200-20200+1900 रुपये ग्रेड पे) एवं राज्य शासन द्वारा देय अन्य भत्तों पर (कॉलम नं 04 में दर्शाई गई संस्था/कार्यालय में) कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :-

1. परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि,स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
2. परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताएँ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेंगी।
3. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
4. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेंगी और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।
6. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।
9. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	आरक्षित/अनारक्षित	आईटीआई/कार्यालय का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	2	3	4
1	नीरज खटीक पिता श्री शिवप्रसाद मकान नं 02, वार्ड नं 02 शासकीय चिकित्सालय के पास, तेन्दुखेड़ा जिला दमोह पिन कोड 470880	अनुसूचित जाति	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Muniram Dhakad

Date: 25-03-2026

16:12:40

अतिरिक्त संचालक

कौशल विकास मध्यप्रदेश

/जबलपुर, दिनांक 25/03/2026

क्रमांक कौविसं/स्थाप-प्र/सामा-244/2026/ 1813

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, (केवल कौशल विकास एवं रोजगार), भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जबलपुर। चयनित उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थायी निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजे। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
5. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
6. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
8. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. स्थापना अनुभाग-5 कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।

सही/-

अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश